

महामहिम राज्यपाल  
श्री रघुकुल तिलक का अभिभाषण  
19 जुलाई, 1977

विधाय सदस्यगण,

विधान सभा के पिछले चुनाव के परिणामस्वरूप नवगठित विधान सभा के इस प्रथम सत्र आम्बोधित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष है। छठी विधान सभा के सदस्यों के रूप में मैं आपका कृपा स्वागत करता हूँ।

2. विगत मार्च में हुए लोक सभा के चुनाव तथा जून में हुए विधान सभा के चुनाव असिक दृष्टि से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं निर्णायक चुनाव रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के जनता ने शांतिपूर्ण परिवर्तन से तानाएँही को जड़ से उखाड़ने का जो संकल्प किया था, विधान सभा के चुनावों के साथ पूरा हुआ। प्रदेश तथा देश की जनता ने इन चुनावों में यह कर दिया कि देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। आपातकालीन स्थिति के भयंकर में भी जनता की आस्था प्रजातांत्रिक मूल्यों से नहीं डिगी। यह हर्ष का विषय है कि अधिनायकवाद स्थापित करने के सभी प्रयास जनता के सामूहिक मनोबल के कारण सफल न होकर तथा तानाएँहों को अपने ही बुने जाल में फँस कर भारी पराजय का सामना करना पड़ा। अधिनायकवाद के विरुद्ध हुए भारतीय जनता के संघर्ष तथा उसकी सफलता की विश्व का आज मुक्त कण्ठ से प्रशंसा कर रहा है। हम सब इस अहिंसक क्रान्ति के भागीदार हैं।

3. देश में अधिनायकवाद के उन्मूलन से एक ऐसे पुनः स्वस्थ प्रजातन्त्र की स्थापना हुई है। यह परिवर्तन युग परिवर्तन का संकेत है। इससे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश ने नई आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था की स्थापना के जो लक्ष्य अपने सामने रखे थे उनको पुनः स्थापित करने का फ़िर से अवसर मिला है। पूर्ण अधिनायकवाद के कागार पर पहुँच कर देश की पुनः अपनी खोई स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल हुई है। देश की जनता के साथ हम सब एकी बार स्वतंत्रता प्राप्ति के इस महायज्ञ के दृष्टा व सृष्टा हैं। वर्तमान सरकार इस स्वतंत्रता की विजय बनाये रखने के लिए भरसक प्रयत्न करती रहेगी।

4. आपातकालीन स्थिति देश के इतिहास का एक काला पृष्ठ है। एक व्यक्ति को सत्ता में रखने के लिए सारे देश को भयंकर उत्पीड़न सहना पड़ा। हजारों लोग अकारण ही जेलों में दिये गये। गिरफ्तारियों व यातनाओं से एवं समाचार प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाकर देश में बातावरण उत्पन्न किया गया। सूचना एवं प्रसारण के सरकारी माध्यमों से तथा बंधनों से

जकड़े समाचार-पत्रों द्वारा आपातकालीन स्थिति के तथाकथित लाभों के गीत गये जाने लगे और जनता को गुमराह करने के प्रयत्न किये गये। व्यक्ति पूजा इस हद तक पहुँची कि देश को एवं ही व्यक्ति का पर्याय समझा जाने लगा। न्यायपालिका के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। यहां तक कि संसद में जनता के चुने प्रतिनिधियों के द्वारा व्यक्ति किये गये विचारों के प्रकाशन भी रोग लगा दी गई। सत्ता के गैर संवैधानिक केन्द्रों द्वारा सत्ता का खुले आम दुरुपयोग किया गया। विरोधी दलों के सम्मानित नेताओं के विरुद्ध निम्न स्तर का झूठा एवं अनर्गल प्रचार निरंचित चलता रहा, यहां तक कि देश के नैतिक सम्बल लोकनायक जयप्रकाश नारायण को समाविरोधी, देशद्रोही तथा फासिस्ट कहा गया। यह सौभाग्य की बात है कि तानाएँही के सभी प्रयत्न विफल हो गये और अन्ततोगत्वा सत्य, न्याय एवं प्रजातंत्र की जीत हुई।

5. जनता पार्टी का जन्म अधिनायकबाद के विरुद्ध, जनता के संघर्ष की अभिव्यक्ति रूप में हुआ है। आजादी के बाद एक ही राजनैतिक दल के अन्य विकल्प के अभाव में सत्ता में बने रहने के कारण हमारे राष्ट्रीय जीवन में जड़त्व तथा शक्ति के केन्द्रीकरणों की जो स्थिति बन गई थी वह जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय दल के रूप में उभरने और केन्द्र तथा कुछ राज्यों सत्ता में आने से दूर हो गई। केन्द्र में परिवर्तन के बाद राज्य में कांग्रेस दल को पिछली सरकार द्वारा जनमत की अवहेलना कर कानून की आड़ में सत्ता में बने रहने का प्रयास किया गया। यह प्रयास सफल नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय में तत्सम्बन्धी निर्णय होने के बाद राज्य में दुष्ट चुनावों में जनता ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता हुत आर्थिक एवं सामाजिक विश्वास तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों की पुनः स्थापना के लिए जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया। वर्तमान सरकार इस विश्वास को मूर्त रूप देने के लिए कृत संकल्प है।

6. राजस्थान में इस परिवर्तन का अर्थ केवल एक दल की सरकार हटाकर दूसरे दल की सरकार बन जाना ही नहीं है। यह परिवर्तन नई व्यवस्था एवं मूल्यों का परिवर्तन है। इस परिवर्तन में जहां जनमत में न्या विश्वास जगा है वहीं जन प्रतिनिधियों को भी अपने उत्तरदायित्वों का न्या आभास हुआ है। इससे राज्य में आत्मविश्वास की एक नई भावना जगी है तथा जनतंत्र में निष्ठा बढ़ी है। सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने तथा स्वस्थ प्रजातांत्रिक परम्पराएँ स्थापित करने के कागर कदम उठाये। यह सरकार इन उत्तरदायित्वों को पूर्ण रूप से निभाने के लिए वचनबद्ध है।

7. आपातकालीन स्थिति में देश के अन्य भागों की तरह राजस्थान में भी ज्यादातियां हुई। केन्द्रीय सरकार ने इन ज्यादतियों की जाँच के लिये शाह आयोग की नियुक्ति की है। राज्य सरकार ने भी प्रदेश में हुई इन ज्यादतियों का विवरण एकत्रित करने तथा उनकी जाँच करने के लिए सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री कानसिंह की अध्यक्षता में एक द्वि-सदस्यीय तथ्यान्वेषण समिति का गठन किया है। समिति के सदस्य सचिव पाली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रामराज लाल गुप्ता हैं। इस समिति को अक्टूबर के अन्त तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को

गया है। इस समिति द्वारा एकत्रित किये गये तथ्य शाह आयोग को उपलब्ध कराये जायेंगे। व्यक्तियों ने आपातकालीन स्थिति के दौरान ज्यादतियाँ की हैं उनके विरुद्ध सरकार कड़ी बहाही करेगी।

8. राज्य के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति के दौरान अनुचित तोड़फोड़ गई। इस प्रकार झौपड़ियाँ, दुकानें गिराने का कार्य कोई शोभनीय कार्य नहीं था। सरकार ऐसे अनुचित तोड़फोड़ के मामलों की जांच करेगी तथा प्रभावित व्यक्तियों को पुनः स्थापित के कदम उठायेगी। नगरों के विकास की समस्या पर भी सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

9. राजस्थान के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की अपनी अलग समस्याएँ हैं। इन आयाओं के निराकरण के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रशासन दृढ़ गति से काम करे जनहित की ओर उन्मुख हो। प्रशासन तंत्र जनता की सेवा का एक साधन है और इस साधन जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप ढालना होगा। जनता की शिकायतों का प्रशासन द्वारा निपटारा हो, इस बात का विशेष प्रयास किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सरकार इस बात भी प्रयास करेगी कि जहां तक हो सके कृषि भूमि सम्बन्धी मामलों का निपटारा गाँवों में ही सके ताकि ग्रामीणों को बार-बार राजस्व न्यायालय के चक्कर न लगाने पड़ें। जनता की उचित शिकायतों को सुनने तथा उनको समय पर निपटाने के लिये राज्य सरकार प्रभावी व्यवस्था बनाएगी। पिछली सरकार के अन्तर्गत प्रशासन की उदासीनता इस बात से भी आती है कि अधिकारियों के पेन्शन तथा ग्रेच्युटी तक के कई मामले 10 वर्षों से भी अधिक समय से नियाराधीन पड़े हुए हैं। यह सोचने की बात है कि जो सरकार अपने कर्मचारियों की पेन्शन का समय पर भुगतान का प्रबन्ध नहीं कर सकी वह आम जनता की शिकायतों का निस्तारण किस सरकार करती रही होगी। सरकार ने पेन्शन व ग्रेच्युटी के मामलों के शीघ्र भुगतान करने के लिए प्रभावी कदम उठाये हैं।

10. खाद्य विभाग में प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विभिन्न पदार्थों के लिए जारी किये जाने वाले अनुज्ञा-पत्रों के प्रदान करने की पद्धति का सरलीकरण किया जाय। इस हेतु एक समिति घटित करने का निर्णय लिया गया है जो विभागीय अधिकारियों, उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों दृष्टिकोण को समझकर अपने सुझाव सरकार को प्रस्तुत करेगी।

11. योजनागत तथा योजना भिन्न कार्यों में वृद्धि होने के कारण प्रशासनिक खर्चे में भी पिछले वर्षों में काफी वृद्धि हुई है। सरकार प्रशासन पर होने वाले व्यय में कमी करने तथा सुधार लाने की दृष्टि से सभी विभागों के कार्यकलापों की समीक्षा करेगी ताकि प्रशासन व्यवस्था में आवश्यक सुधार किये जा सकें।

12. पिछली सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक कड़े कदम नहीं उठाये जाने तथा उल्टे भ्रष्टाचारी तत्वों को प्रोत्साहन देने के कारण प्रशासन में भ्रष्टाचार का व्यापक विस्तार हुआ है।

वर्तमान सरकार राज्य की जनता को ईमानदार एवं स्वस्थ प्रशासन देने के लिए कटिबद्ध सरकार भ्रष्टाचारी तत्वों को कुचलने के लिये कड़ी कार्यवाही करेगी। वर्तमान भ्रष्टाचार निरोध व्यवस्था में सरकार प्रभावी परिवर्तन करेगी। इस सम्बन्ध में बने कानून तथा नियमों पर भी ध्यान किया जायेगा। सरकार भ्रष्टाचार मिटाने के लिए राज्य में जन मानस भी बनायेगा।

13. पिछली सरकार ने कई अधिकारियों को सेवा वृद्धि देकर अस्वस्थ परम्परा स्थापित की थी। इस प्रकार की सेवा-वृद्धि मिलने की आशा से सरकारी कर्मचारी निष्पक्षतापूर्वक अपने कार्य सम्पादन नहीं कर पाते तथा प्रभावशाली व्यक्तियों को खुश करने के प्रयत्न करते हैं। अस्वस्थ प्रशासन के लिये घातक है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों तथा ऐसे वैज्ञानिक तकनीकी कर्मचारियों के अलावा, जिनकी कमी है, सरकार सिद्धान्त रूप से कर्मचारियों द्वारा राज्य सेवा में सेवा-निवृत्ति तिथि से आगे वृद्धि देने के विरुद्ध है।

14. राजस्थान में आर्थिक विकास की विपुल संभावनायें हैं। जहां एक ओर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था का बाहुल्य है वहां यहां का पशुधन भी देश में विख्यात है। प्रदेश विभिन्न हिस्सों में कृषि विकास का भी विस्तृत क्षेत्र है। कुटीर तथा हस्तकला के उद्योग भी प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हैं। राज्य के आर्थिक विकास के लिए अब तक व्यापक तौर से क्षेत्रीय आपाना पद्धति का नये सिरे से मूल्यांकन किया जाय ताकि योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन के मध्य असंगति को दूर किया जा सके तथा योजनागत प्राथमिकताएँ ठीक तरीके से निर्धारित की जाएं। सरकार इस सारे प्रश्न पर नये सिरे से विचार करेगी तथा योजना की नई प्राथमिकताएँ निर्धारित करेगी। इन प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में जनता की बुनियादी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जायेगा। कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए विशेष कदम उठाये जायेंगे तथा इस बात का प्रयास किया जायेगा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विकास हो।

15. बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। अधिक आंबादी व कम पूँजी वाले देशों में बेरोजगारी का हल केवल भारी उद्योग लगाकर नहीं किया जा सकता। राज्य में बेरोजगारों का हल कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग तथा खनन आदि के क्षेत्रों में ढूँढ़ना होगा। साथ ही साधा सड़कों, लघु सिंचाई, बनों आदि के अतिरिक्त उत्पादक कार्य भी हाथ में लेने होंगे ताकि इनसे जहां एक ओर लोगों को रोजगार मिल सके वहीं दूसरी ओर राज्य की अर्थ-व्यवस्था की भी विकास हो सके। सरकार का प्रयास ऐसे काम हाथ में लेने का रहेगा जिसमें कम विनियोग से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल सके।

16. राज्य में इस वर्ष वर्षा अच्छी होने के कारण खरीफ और रबी दोनों फसलें अच्छी होने की आशा है। इस वर्ष अनुमानतः 16.8 लाख हैक्टेयर में फसलें बोई जायेंगी। राजस्थान में कृषि विकास में मुख्य बाधाएँ सिंचाई के साधनों का अभाव, भूमिगत जल की सीमित उपलब्धि, निजी विनियोग की कमी, विस्तार प्रयासों की कमी, कृषि की परम्परागत विधियों

कृषि क्षेत्र में अल्प जोत वाले कृषकों तथा श्रमिकों के विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। प्रदेश में इस समय भारत सरकार द्वारा उपलब्धता से भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, अजमेर एवं अलवर जिलों में लघु विकास अभिकरण कार्यक्रम चल रहा है जिसके अन्तर्गत इस वर्ग के लोगों को कृषि और अन्न सम्बन्धी विभिन्न विनियोगों के लिये अंशादान मिलता है तथा उन्हें बैंकों से क्रण कराया जाता है। राजस्थान के अन्य 10 जिलों में भी, जहां सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हैं, इसी के अनुरूप अल्प सीमान्त जोत के कृषकों तथा कृषि श्रमिकों को बैंक विनियोग अंशादान दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने इन कमजोर वर्गों के उत्थान की आवश्यकता को ए निर्णय लिया है कि अपने साधनों से झालावाड़, टोक, बूंदी, जयपुर, हुन्दून्हु, सीकर, माधोपुर, गंगानगर, सिरोही व कोटा जिलों में अल्प व समसीमान्त जोत के कृषकों तथा श्रमिकों के लिये विकास अभिकरण इसी वर्ष खोले जायें। इन अभिकरणों के माध्यम से कृषकों के लिये इन जिलों में प्रत्येक में 3 से 4 करोड़ रुपये का क्रण बैंकों से जुटाया जा

17. कृषि उत्पादन के लिये यह आवश्यक है कि प्रमाणिक किस्म के बीज कृषकों को उपलब्ध कराये जायें। उन्नत किस्म के बीज उत्पादन, भण्डारण एवं वितरण के लिये एक राज्य निगम की स्थापना के प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इस बारे में विश्व बैंक द्वारा सहायता के लिए प्रारम्भिक बातचीत हुई है।

18. उन्नत कृषि साधनों के व्यापक तौर पर अपनाने के लिये विस्तार सेवाओं को ठीक से संगठित करने की आवश्यकता है। विस्तार सेवा कृषि विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इस सम्बन्ध में एक योजना बनाई गई है जिस पर पांच वर्षों में 23.90 करोड़ रुपये व्यय होने अनुमान है। इस योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर 60 विशेषज्ञ, उप खण्डों पर 150 विशेषज्ञ, 500 कृषि प्रसार अधिकारी तथा 4000 ग्राम विस्तार कर्मचारी लगाये जायेंगे। इस विषय में भारत सरकार तथा विश्व बैंक से आवश्यक विचार-विमर्श किया जा रहा है।

19. कृषकों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिये राज्य में कृषि विपणन कार्यक्रम भल रहा है, जिसके अन्तर्गत राज्य में 102 कृषि उपज मंडियां काम कर रही हैं। राज्य कृषि उपज विपणन अधिकारी से प्रावधानों को सरल करने तथा उन्हें अधिक प्रभावी बनाने पर राज्य ग्रामकार द्वारा विचार किया जायेगा। तथा आवश्यकता हुई तो उक्त अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव उपयुक्त समय पर सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

20. राज्य सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि कृषि विकास के लिये बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से कृषकों को सीधा ऋण उपलब्ध कराया जा सके। इस समय 44 लघु सिचांई योजनाएँ विभिन्न पंचायत समितियों में चल रही हैं जहां कृषि पुनर्वित निगम तथा राज्य भूमि विकास बैंक के माध्यम से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सरकार इन योजनाओं

के क्रियान्वयन में कुशलता लायेगी ताकि अधिक संख्या में कृषक इन योजनाओं का लाभ सकें। राजस्थान में भूमिगत जल की उपलब्धि सीमित है। अनेक स्थानों पर अतिरिक्त जल उपलब्धि की संभावनाएँ नहीं हैं और इसी कारण इन क्षेत्रों में ऐसी लघु सिंचाई योजना हा नहीं ली जा सकी है। सरकार के विचार में आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता विद्यमान संरक्षण की तथा उसके उचित उपयोग की है। पानी के रिसाब से आज कुओं के पानी का 40 प्रतिशत भाग बेकार चला जाता है। अगर इस पानी को बचाया जा सके तो कुओं के सिंक्षेत्र में 30-40 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है, इस योजना के महत्व को देखते हुए रासरकार शीघ्र ही प्रत्येक जिले के लिए कुओं पर पक्की नालियां बनाने की विशेष योजना बनायेगी और कृषि पुनर्वित निगम या अन्य वित्तीय संस्थाओं से इस काम के लिये क्रण करेगी। इस काम को विस्तृत पैमाने पर हाथ में लेने से न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी बढ़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।

21. राज्य में चल रहे सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जायेगा। आवश्यक कार्यक्रम जैसे पेयजल योजना, सड़कों के विकास आदि के जो आवश्यक कार्यक्रम इसमें अब तक नहीं लिये जा सके हैं उनके समावेश करने के प्रयत्न किये जायेंगे। चम्बल राजस्थान नहर क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रीय विकास की परियोजनाएँ विश्व बैंक की सहायता से चला जा रही हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक गति दी जायेगी। राज्य में विभिन्न नहर क्षेत्रों के विकास के लिये सरकार नई परियोजनाएँ तैयार करेगी ताकि उन पर विश्व बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त की जा सके। इसके अन्तर्गत राजस्थान नहर (द्वितीय चरण) माही, आदि बड़े कमान्ड क्षेत्रों के विकास की परियोजनाएँ बनाई जायेंगी। सरकार ने इसके लिये राज्य स्तर पर एक विशेष इकाई की स्थापना की है।

22. कृषि उत्पादन में सिंचाई के साधनों का महत्वपूर्ण स्थान है। जहां राज्य सरकार लघु सिंचाई की नई योजनाएँ हाथ में लेगी वहीं इस बात का भी प्रयास करेगी कि विद्यमान सिंचाई योजनाओं में अधिक से अधिक सिंचाई हो सके।

23. वर्तमान अनुमानों के अनुसार राजस्थान नहर के द्वितीय चरण का निर्माण 1983-84 तक पूरा होगा। राज्य सरकार यह प्रयास करेगी कि द्वितीय चरण का निर्माण इस अवधि से पहले हो जाये। द्वितीय चरण में सिंचाई के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के विकास के लिये परियोजना भी साथ की साथ बनाई जा रही है ताकि दोनों में असंगति न हो।

24. बन राष्ट्रीय सम्पत्ति है। सरकार बनों के विकास के लिये भी कदम उठायेगी।

25. राज्य में दुध विकास की योजना, सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा विश्व बैंक से सहायता लेकर प्रारम्भ की गई है। वर्तमान समय में लगभग 3 लाख लीटर दूध का संकलन प्रतिदिन किया जाता है। राजस्थान के 6 पूर्वीय जिलों में राजस्थान राज्य दुध विकास निगम यह कार्य देखती है तथा अन्य क्षेत्रों में दुध विकास निदेशालय इस काम का

मन करता है। राज्य सरकार इन संगठनों के एकीकरण पर विचार कर रही है ताकि कीमतों, प्रशिक्षण, उत्पादन, विस्तार आदि विषयों पर उचित निर्णय केन्द्रीय रूप से लिये जा सकें। यह है कि अगले पाँच वर्षों में दुग्ध संकलन 10 लाख लीटर तक पहुँच जायेगा। इतनी बड़ी दुग्ध संकलन से उत्पन्न विक्रय आदि की समस्याओं के प्रति राज्य सरकार अभी से सजग योजना से अगले पाँच वर्षों में लगभग 5 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार का प्रयास करेगी कि कमजोर वर्ग के अधिक-से-अधिक लोग इस कार्यक्रम का लाभ लाते हैं। राज्य सरकार इस बात का भी प्रयास करेगी कि जिन जिलों में यह योजना प्रारम्भ नहीं होती है वहां सर्वेक्षण के बाद यह योजना लागू की जाये। राजस्थान में श्वेत क्रांति का जो उत्तर हुआ है उससे प्रदेश के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा बल मिलने की आशा है।

26. केन्द्र सरकार की एक योजना के अनुसार नये पशु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भेड़ गोस, कुक्कुट विकास, मत्स्य-पालन तथा सूअर-पालन का काम हाथ में लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत छोटी जोत के कृषकों तथा कृषि श्रमिकों की उपर्युक्त कार्यों के लिये क्रांति अंशदान उपलब्ध कराया जाता है तथा उन्हें तकनीकी सलाह दी जाती है। यह कमजोर उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अतः सरकार इन पर विशेष ध्यान देगी।

27. राजस्थान में मत्स्य विकास की विपुल संभावनाएँ हैं। पिछले वर्षों में इस काम में व्यापक प्रगति नहीं हुई है। राज्य सरकार मत्स्य विकास की एक नई योजना तैयार करायेगी ताकि उपलब्ध जल साधनों का मत्स्य पालन के लिये उचित उपयोग हो सके। इस योजना के निर्माण शांति, विकास व विपणन के सभी पहलुओं का ध्यान रखा जायेगा।

28. सरकार राज्य विद्युत मण्डल के कार्यों की समीक्षा कर विद्युतीकरण में प्रगति आयेगी। विद्युतीकृत गाँवों में जहां-जहां ट्रांसफार्मर क्षमता की सीमितता या अन्य कारणों से अतिरिक्त कनेक्शन नहीं दिये जा पा रहे हैं वहां सरकार अतिरिक्त कनेक्शन दिलाये जाने की अवधास्था करेगी। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के आवासीय क्षेत्रों में तथा उनके घरों पर भी बिजली उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था की जायेगी।

29. यद्यपि सहकारिता कार्यक्रम एक जनतांत्रीय कार्यक्रम है लेकिन पिछली सरकार ने जनतांत्रिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु राज्य में सहकारिता की जड़ें कमजोर कर दी हैं। कई क्षेत्रों में निहित स्वार्थों ने विभिन्न स्तरों पर सहकारी संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है। राज्य सरकार सहकारी आंदोलन को ऐसे तत्वों से मुक्त करने तथा सहकारी क्षेत्र से भ्रष्टाचार मिटाने के लिये काटिबद्ध है और शीघ्र ही इस दिशा में कारण कदम उठायेगी। सरकार इस बात का भी पक्का प्रबन्ध करेगी कि सहकारी संस्थाओं से समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों को विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को समुचित मात्रा में क्रांति मिल सके और ये संस्थायें एक वर्ग विशेष का हित साधन बनकर न रह जायें। सरकार सहकारी संस्थाओं के चुनाव शीघ्र करायेगी ताकि सहकारी क्षेत्र में जनतांत्रिक मूल्यों का पुनः स्थापन हो सके।

30. औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान एक पिछड़ा प्रदेश है। राजस्थान के 26 ज़िलों में 16 ज़िले भारत सरकार द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित किये गये हैं जहां रियायती तथा आसान किस्तों पर लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध होता है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र अनुरोध किया जायेगा कि कुछ और ज़िले भी पिछड़े घोषित किये जायें।

31. तेजी से राज्य का औद्योगिक विकास करने के लिये यह आवश्यक है कि उद्यमि को समुचित सहायता दी जाये तथा ऐसी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण ता एकीकरण किया जावे। राज्य सरकार इस विषय में उचित कदम उठायेगा।

32. ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लोगों को विशेष रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुछ तथा हस्तकला उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा। राजस्थान में पूरे देश में होने वाले हु उत्पादन की लगभग 40 प्रतिशत ऊन एकत्रित की जाती है लेकिन इस ऊन के केवल 20 प्रतिश का ही राजस्थान में उपयोग हो पाता है। इसके लिए आवश्यक है कि ऊन पर आधारित उद्योग का विकास किया जाये। राज्य सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि प्रदेश में 1 वर्ष अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड के माध्यम से गलीचे बनाने के लिये अतिरिक्त उत्पादन ता प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायें। राज्य सरकार द्वारा ऊन पर आधारित उद्योगों की विकास संभावनाओं पर एक अध्ययन भी करवाया गया है। राजस्थान राज्य लघु उद्योग निगम तथा राजस्थान राज सहकारी भेड़ एवं ऊन विपणन फैडरेशन के माध्यम से ऊन पर आधारित कारखाने खोलने पर विचार किया जावेगा। खादी तथा ग्रामीण उद्योगों के कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जायेगा। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में प्रबन्ध व्यवस्था के सुधार पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। श्रमिकों को संस्थाओं के प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व मिले। इस बात का भी प्रयास किया जायेगा।

33. पावरलूम लगाने की केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति में संशोधन करने की मांग राज्य सरकार द्वारा की गई है जिससे राज्य में और अधिक पावरलूम स्थापित हो सके।

34. राजस्थान की अपनी विपुल खनिज सम्पदा है। खनिज क्षेत्रों में सड़कें आदि न होने के कारण खनिज उत्पादन में कई बाधाएँ रही हैं। राज्य सरकार द्वारा खनिज क्षेत्रों में सड़कें बनाने के विशेष प्रयास किये जायेंगे। इस प्रयास से जहां एक ओर लोगों को इन कामों पर रोजगार मिलेगा वहीं नये खनिज क्षेत्र खुल सकेंगे तथा विद्यमान खानों से और अधिक उत्पादन हो सकेगा। इस वर्ष नये खनिज क्षेत्र खोलने से राज्य सरकार 10,000 व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार दे सकेगी।

35. राज्य में औब तक सड़कों का जो कम हुआ है उसमें कई जगह गंभीर अनियमितताएँ हुई हैं। सरकार ऐसे सभी मामलों की जाँच करवायेगी। इन अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार से सड़कों पर हुए विनियोग का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। सरकार ग्रामीण सड़कों के निर्माण के नये कार्यक्रम प्रारम्भ करेगी।

36. यह चिन्ता का विषय है कि आजादी के 30 वर्ष बाद भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में

पीने के पानी का उचित प्रबन्ध नहीं हो पाया है। पीने के पानी की समस्या एक बुनियादी तथा महत्वपूर्ण समस्या है और सरकार को इसके हल के समुचित उपाय ढूँढ़ने होंगे। सरकार आज का प्रयास करेगी कि सभी क्षेत्रों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जा सके। सरकार ने इस वर्ष पेयजल के लिये केन्द्रीय बजट में अतिरिक्त प्रावधान रखा है जिससे को अतिरिक्त राशि पेयजल योजना के लिये मिल सकेगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो राज्य योजना में भी अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जायेगा।

37. कुछ राज्यों ने पेयजल योजनाओं के लिए निगम आदि बनाकर विश्व बैंक तथा अन्य संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने का प्रयास किया है। सरकार इस बारे में विचार कर इस कार्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के प्रयत्न करेगी।

38. शिक्षा के क्षेत्र में आज भी राजस्थान अन्य राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के तीस वर्ष बाद भी समाज का एक बहुत बड़ा तबका अशिक्षित है। सरकार शिक्षा व्यवस्था पर नये सिरे से विचार करेगी तथा अशिक्षा उन्मूलन की दिशा में प्रभावशाली कदम उठायेगी। हम शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता के प्रति जागरूक हैं। सरकार राज्य कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं विकास के लिए आवश्यक कदम उठायेगी।

39. कृषकों को अधिकतर समस्याएँ भूमि पर आधारित होती हैं। जैसा कि पहले कहा है सरकार इस बात का प्रबन्ध करना चाहती है कि कृषकों के भूमि सम्बन्धी सभी मामलों में निपटारा राजस्व अधिकारियों द्वारा ग्राम स्तर पर ही कर दिया जाये। जहां तक राज्य भूमि अतिक्रमण का प्रश्न है इस सम्बन्ध में सरकार ने स्पष्ट निर्णय लिया है कि यह किसी भी स्थिति में राज्य भूमि पर अतिक्रमण सहन नहीं करेगी तथा अतिक्रमण रोकने के लिए कारगर कदम उठायेगी। अतिक्रमण रोकने का उत्तरदायित्व राज्य कर्मचारियों का है। अतः राज्य सरकार ने उह भी निर्णय लिया है कि जहां-जहां कर्मचारी इस दिशा में उदासीन या कार्य विमुख पाये जायें तबां उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाये।

40. राज्य में कई जगह प्रभावशाली व्यक्तियों ने सरकारी कृषि भूमि गलत रूप से आवंटन के द्वारा या अन्य तरीकों से हथिया ली है। सरकार ऐसे सभी मामलों की जाँच करवायेगी तथा गलत आदेश निरस्त करने की कार्यवाही करेगी। राज्य सरकार विभिन्न जिलों में उपलब्ध कृषि खोय भूमि का आवंटन भी एक निश्चित अवधि तक कर देने का प्रयास करेगी।

41. सीलिंग कानून के तहत जिस भूमि का अधिग्रहण किया गया है उसके शीघ्र आवंटन के लिए प्रभावशाली कदम उठाये जायेंगे। सरकार भूमि सुधारों को लागू करने के लिए विशेष कदम उठायेगी।

42. सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि कमजोर वर्ग के कृषकों को भूमि आवंटन के साथ साथ खेती करने के आवश्यक साधन भी उपलब्ध कराये जायें ताकि वे आवंटित भूमि पर

खेती कर सकें। जहां-जहां कृषकों ने आवंटित भूमि का कब्जा नहीं लिया है वहां सरकार उन कारणों की, जिनसे ऐसे कृषक भूमि का कब्जा नहीं ले रहे हैं, जाँच करवायेगी तथा इस जीव के आधार पर वहां विद्यमान कठिनाइयों के निराकरण का प्रयास किया जायेगा। उपनिवेशन क्षेत्र में कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध भी सरकार कारगर कदम उठायेगी।

43. अल्प जीत के कृषकों को राहत देने के लिये सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 2. हैक्टेयर तक की असिंचित भूमि की जोतें भू-राजस्व से मुक्त कर दी जायें।

44. विभिन्न जिलों में भू-अभिलेखों की वर्तमान स्थिति पर नये सिरे से विचार किया जायेगा तथा भू-अभिलेखों के सुधार की दिशा में प्रभावशाली कदम उठाये जायेंगे।

45. राज्य में समुचित चिकित्सा व्यवस्था का प्रबन्ध नहीं हो पाया है। केन्द्रीय सरकार पर चिकित्सकों पर आधारित जन स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण की जो योजना बना रही है उसे लागू करने के बारे में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा। चिकित्सा सेवाओं की क्षेत्रीय उपलब्धि के बारे में भी विचार किया जायेगा तथा जो क्षेत्र उपेक्षित रहे हैं वहां चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने हेतु विशेष ध्यान दिया जायेगा। जहां-जहां आयुर्वेदिक तथा एलोपैथी की दोहरी सुविधा उपलब्ध है वहां उन सुविधाओं की विद्यमानता पर सरकार द्वारा नये सिरे से विचार किया जायेगा और ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि इस दोहरी सेवाओं पर अनावश्यक व्यय न हो और जो क्षेत्र चिकित्सा सेवाओं से बिल्कुल वंचित हैं वहां ये सेवायें उपलब्ध कराई जा सकें।

46. परिवार नियोजन के नाम पर आपातकालीन स्थिति में ज्यादतियां हुई, उनकी सरकार जाँच करवायेगी तथा दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। परिवार नियोजन कार्यक्रम में की गई ज्यादतियों से उत्पीड़ित व्यक्तियों को समुचित सहायता भी दी जायेगी। मैं यहां यह स्पष्ट कहना चहूंगा कि सरकार परिवार नियोजन को एक ऐच्छिक कार्यक्रम मानती है जो परिवार कल्याण से सम्बन्धित है। सरकार परिवार नियोजन के लिए सभी सुविधाएं इच्छुक व्यक्ति को उपलब्ध करायेगी तथा परिवार नियोजन की आवश्यकता के बारे में जनमानस बनायेगी। परिवार नियोजन के नाम पर बल प्रयोग के यह सरकार बिल्कुल विरुद्ध है।

47. सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के आर्थिक विकास हेतु अब तक किये गये कार्यों की समीक्षा की जावेगी तथा उन्हें अधिक प्रभावशाली बनाने के उपाय किये जायेंगे। सरकार समाज के इन पिछड़े वर्गों के उत्थान के प्रति जागरूक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान का निहित स्वार्थी ने विरोध किया है। कई स्थानों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को भूमि का जो आवंटन हुआ था उसको विफल बनाने के प्रयास भी किये गये हैं। सरकार ने जिलाधीशों को यह निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को जिस भूमि का आवंटन किया गया है उसका कब्जा उन्हें शीघ्र दिलवायें, यदि इस कार्य में कोई व्यक्ति रुकावट डाले तो उसके विरुद्ध समुचित

की जाये। जिलाधीशों को ये निर्देश भी सरकार ने दिए हैं कि ऐसी भूमि को जोतने का आल काटने के समय यदि कोई बाधा उपस्थित करे तो उसके विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मैं इस सम्बन्ध में सरकार के इस संकल्प को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के हक्कों पर हुए कुठाराघात को किसी भी स्थिति में सहन नहीं देयेगा तथा दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के उचित प्रबन्ध किये जायेंगे। सरकार इन पिछड़े समुचित सुरक्षा देने के लिए कृत संकल्प है।

48. सरकार छुआघूत के कानून को भी प्रभावशाली ढंग से लागू करेगी तथा जन उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जो छुआघूत के दोषी पाये जायेंगे। सरकार छुआघूत और जनमानस भी तैयार करेगी।

49. सरकारी सेवाओं में आरक्षित स्थानों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के विशेष प्रयत्न किये जायेंगे। ऐसे वर्ग के बच्चों के लिये खोले गये छात्रावास तथा जनजाति के कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जायेगा ताकि विनियोग का अधिक-से-अधिक लाभ सके। सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों का सामाजिक, शैक्षणिक तथा आरक्षित स्तर उठाने के भरसक प्रयत्न करेगी।

50. अनुसूचित जनजाति विकास के लिए एक निगम की स्थापना की गई है। यह निगम अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के उचित मूल्य पर वितरण का प्रबन्ध करेगा तथा विचौलियों द्वारा अनुसूचित जनजाति के कृषकों के शोषण को रोकने के लिए उनके उत्पादन के उचित मूल्य पर खरीद की भी व्यवस्था करेगा।

51. पिछली सरकार ने सागड़ी प्रथा के सम्बन्ध में दायर मुकदमों को वापस ले लिया जो एक अशोभनीय कार्य था। वर्तमान सरकार सागड़ी प्रथा उन्मूलन कानून को पूरी तरह लागू करने के लिए कारगर कदम उठायेगी ताकि बन्धुआ श्रमिक प्रथा का अन्त हो सके।

52. सरकार विभिन्न अल्प संख्यक समुदायों की समस्याओं के प्रति भी जागरूक है तथा उनके हितों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठायेगी।

53. महिलाओं के लिए जो कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार उनकी समीक्षा करेगी ताकि इन कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। महिलाओं को विभिन्न प्रकार के उद्योग सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के बारे में विचार किया जायेगा ताकि वे खाली समय में कोई रोजगार कर के अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें।

54. राज्य में अनाज का समुचित भण्डार है तथा अनाज की उपलब्धि भी संतोषजनक है। अब तक हुई वर्षा के हिसाब से भी इस वर्ष अनाज का उत्पादन अच्छा होने के आसार हैं। अनाज की उपलब्धि सहज होने के कारण उचित मूल्यों की दुकानों से अनाज का उठाव कम मात्रा में हो रहा है। आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के प्रति राज्य सरकार सजग है और जमाखोरी व कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं।

55. राजस्थान परिवहन क्षेत्र में अधिक-से-अधिक मार्गों के राष्ट्रीयकरण की दिशा में रहा है। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा की गई परिवहन व्यवस्था की सभी की जायेगी तथा जनता को परिवहन सम्बन्धी जो शिकायतें हैं उनका समुचित हल ढूँढ़ा जायेगा।

56. आपातकालीन स्थिति समाप्त होते ही श्रमिकों की कुण्ठा सामने आई आपातकालीन स्थिति का लाभ उठाकर जो श्रमिक विरोधी कदम पिछले दो वर्षों में गत सरकार द्वारा उठाये गये, उनके परिणामस्वरूप श्रमिकों तथा मिल प्रबन्धकों के बीच सौहार्द की भाव विलुप्त हो गई। सरकार का मानना है कि राज्य के औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक शान्ति आवश्यक है इस शांति का स्थायी आधार ढूँढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों दोनों पारस्परिक सहयोग तथा एक दूसरे में विश्वास उत्पन्न हो। इसके लिए सभी वर्गों वो अनिहित स्वार्थों से ऊपर उठना होगा व एक दूसरे के विचारों को सही ट्रॉटिकोण से देखने के प्रयत्न करने होंगे। इसमें सरकार को भूमिका एक मध्यस्थ के रूप में ही है। सरकार जहां मिल प्रबन्ध के द्वारा मजदूरों का शोषण सहन नहीं कर सकती वहां श्रमिकों द्वारा अपनी मांगों को मनवा के लिए हिंसा का प्रयोग किये जाने पर भी वह चुप बैठी नहीं रह सकती। सरकार ने अभी हाँ ही में दोनों पक्षों को एक दूसरे के समीप लाने का प्रयास किया है। यह हर्ष का विषय है कि इस दिशा में कुछ सफलता भी मिली है। श्रमिक संगठनों ने राज्य में यह निर्णय पहली बार लिया कि हर कारखाने में यूनियन को मान्यता देने का निर्णय गुप्त मतदान के द्वारा हो। यह श्रम क्षेत्र में जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप मिल प्रबन्धकों तथा श्रमिकों ने जयपुर में स्थित लघु उद्योगों में तालाबन्दी उठाने तथा हड्डाताल समाप्त कराने का निर्णय लिया है। सरकार को विश्वास है कि मिल प्रबन्धकों तथा श्रमिकों व बीच जो पारस्परिक सद्भाव का बातावरण बना है उससे प्रदेश में औद्योगिक शान्ति स्थापित हो सकेगी तथा मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच स्वस्थ सम्बन्ध पनपेंगे।

57. राज्य सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि समस्त राजकार्य राजभाषा हिन्दी में ही किया जाय। इस लक्ष्य की प्राप्ति में जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर किया जायेगा ताकि सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में ही होने लगे।

58. परिवर्तित परिस्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस का जनता के प्रति विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के प्रति व्यवहार बदले ताकि पुलिस कल्याणकारी राज्य के हाथों में जन सुरक्षा तथा जल सेवा का साधन बन सके। सरकार पुलिस व्यवस्था में प्रभावकारी सुधार करने के प्रति जागरूक है और पुलिस की कार्य प्रणाली की समीक्षा कर इस दिशा में आवश्यक कदम उठायेगी।

59. इसी प्रकार सरकार जेलों की वर्तमान स्थिति और उसमें सुधार की आवश्यकता से भी अवगत है और इस हेतु भी आवश्यक कदम उठायेगी।

60. जनतंत्र की यह विडम्बना है कि जनतंत्र का दम भरने वाली पिछली सरकार ने पंचायतों के चुनाव पिछले 12 वर्षों में नहीं कराये। प्रजातंत्र का मूल आधार ही समय समय पर

होना है ताकि जनता अपने प्रतिनिधियों के कार्यों का मूल्यांकन करके नये प्रतिनिधि चुन निहित स्वार्थों तथा व्यक्तिपरक उद्देश्यों से पिछली सरकार इन चुनावों को आगे बढ़ाने के लानून में समय समय पर संशोधन करती रही जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों का हनन था। वर्तमान संस्थाओं के चुनाव स्थगित कर देने से इन संस्थाओं में भ्रष्टाचार पनपा है तथा इन गांधी राज संस्थाओं के चुनाव करवायेगी। वर्तमान सरकार इन संस्थाओं में जनतांत्रिक मूल्यों के पुनः स्थापन का महत्व घटा है। वर्तमान सरकार इन संस्थाओं में जनतांत्रिक मूल्यों के पुनः स्थापन का कृत संकल्प है। कुछ ही महीनों में सरकार इन संस्थाओं के चुनाव करवायेगी। यही बात गांधी संस्थाओं तथा नगरपालिका के प्रबन्ध पर भी लागू होती है।

61. राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का मूल्यांकन करने की दृष्टि से विभिन्न विशेषज्ञों के प्रतिवेदनों का अध्ययन कराया जा रहा है ताकि इसके फलस्वरूप विभिन्न विशेषज्ञों के एक नवीन स्वरूप दिया जा सके तथा पंचायती राज संस्थाएं स्वावलम्बी विस्थान में प्रभावी भूमिका निभा सकें।

62. सरकार पूर्ण मद्य-निषेध में विश्वास रखती है। इस समय राज्य के लगभग एक तिहाई लोगों में मद्य निषेध लागू है। सरकार इस वर्ष इस क्षेत्र का और विस्तार करेगी ताकि शीघ्र ही पूर्ण मद्य के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।

63. विभिन्न न्यायालयों में बहुत बड़ी संख्या में अनिर्णीत पड़े मुकदमों तथा न्याय मिलने की दोषी से सरकार अवगत है। सरकार जनता को सस्ता, सुलभ तथा समय पर न्याय उपलब्ध कराने के बारे में विचार करके समुचित कदम उठायेगी।

64. सरकार इस सत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक 1977 और पुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977; उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977; राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1977; राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 तथा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् (अवधि समाप्ति) विधेयक, 1977 आपके समक्ष विचार-विमर्श एवं उचित कार्यवाही का प्रस्तुत करेगी।

65. माननीय सदस्यगण, हम लोग युग परिवर्तन की एक संधि पर खड़े हैं। परिवर्तन की वर्तमान पृष्ठभूमि वाले क्षण देश के इतिहास में कभी-कभी ही आते हैं। हम सभी को इस परिवर्तन के दूरगामी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिणामों को समझना होगा तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नयी दिशा देनी होगी। जनता, सरकार तथा विधायकों सभी का उत्तर दायित्व है कि वे राज्य के विकास की समस्याओं को व्यापक दृष्टिकोण से समझें तथा तदर्थ निष्ठापूर्वक कार्य में जुट जायें। प्रदेश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास सभी के आपसी सहयोग पर निर्भर है। हमारा यह भी प्रयास होगा कि शासक दल एवं विरोधी पक्ष में लगातार विचार-

विमर्श की एक नयी परम्परा स्थापित की जाये। इसी परिवर्तन से जनता में जो आकांक्षायें जागी उनको पूरी करने के उपाय हमें दृढ़ने होंगे। देश की जनता अपनी, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के हल के लिए आप सब की ओर आशा लगाये देख रही है और मैं विश्वास करता कि सरकार तथा विरोधी पक्ष जनता की इन आकांक्षाओं को पूरी करने का भरसक प्रयत्न करें। सरकार ने स्वस्थ एवं ईमानदार प्रशासन देने, आर्थिक विकास की गति तेज करने, व्यक्ति स्वातंत्र्य एवं न्यायपालिकाओं की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने तथा एक नयी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के निर्माण का जो लक्ष्य अपने सामने रखा है उनमें आप सब का सहयोग अपेक्षित है।

